

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।</p>	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> • वन मङ्डल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 80.902 है. वन / राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोणला उत्खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्तों पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:- • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप दाइडक वृक्षारोपण एवं दाइडक एन.पी.डब्ली. की शर्त अधिरोपित की जाय।
---	--

तिथि: 06.09.2017

स्थान: भोपाल

०६/०९/१७

(SUNIL AGRAWAL)

I.F.S.

Addl. Principal Chief Conservator of Forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal